पत्रांक–2ब० / जला०–01–117 / 2016 360 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर पंचायत, राजगीर।

पटना, दिनांक– 30/3/17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा मी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख (दस करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में तत्काल ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि के आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 27.02.2017 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राजगीर शहर के लिए नये जल स्त्रोत का निर्माण कर नया राइजिंग पाईप लाईन बिछाने एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु ₹1066.56 लाख का प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त निर्णय के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से विषयांकित योजना की स्वीकृति हेतु प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि राजगीर शहर में हर घर नल का जल निश्चय योजना का कार्यान्वयन भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसका प्राक्कलन अलग से भेजा जायेगा।

3. राजगीर शहर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत विभागीय राज्यादेश सं०– 133, दिनांक– 25.09.2016 द्वारा कुल ₹677.47263 लाख की योजना स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०– 134, दिनांक– 25.09.2016 द्वारा ₹134.14105 लाख राज्य योजना मद से आवंटित की गयी है। नगर निकाय के पास 14वें वित्त आयोग तथा पंचम् राज्य वित्त आयोग मद में ₹177.37537 लाख उपलब्ध है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया

कि उक्त स्वीकृत योजना के लिए अभी तक निविदा नहीं की गयी है। इसलिए यह भी निर्णय लिया गया कि विभागीय राज्यादेश सं०– 133, दिनांक– 25.09.2016 द्वारा स्वीकृत राजगीर शहर में हर घर नल का जल निश्चय योजना को रद्द किया जाय तथा नगर पंचायत, राजगीर द्वारा इस मद में उपलब्ध सम्पूर्ण राशि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त निर्णय के आलोक में प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख (दस करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त अनुरोध पर नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख (दस करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल विभागीय राज्यादेश सं०–359 दिनांक–30/3/17 के आलोक में ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	नगर निकाय का नाम	योजना का नाम	तकनीकी अनुमोदन की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	वर्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	**नगर पंचायत, राजगीर**	राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य।	1066.56	1066.56	573.00	493.56

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र ।

6. उक्त आवंटित राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होंगे**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016

में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। **तदुपरांत चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

7. (क) उक्त आवंटित कुल राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र में से ₹307.00 लाख (तीन करोड़ सात लाख रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष–0101–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215011930101** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष– 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

(ख) उक्त आवंटित कुल राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र में से ₹266.00 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215017890103** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

8. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

9. योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर पंचायत, राजगीर द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

10. **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

11. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवदेन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उक्त राशि इस शर्त के साथ आवंटित की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

16. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि आवंटित की गई है।

17. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

18. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–117/2016 360 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 30/3/17

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

पत्रांक–2ब० / जला०–01–117 / 2016 359 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

**अनौपचारिक रूप से परामर्शित*

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 30/3/17

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख (दस करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2016–17 में तत्काल ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक– 27.02.2017 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राजगीर शहर के लिए नये जल स्त्रोत का निर्माण कर नया राइजिंग पाईप लाईन बिछाने एवं अन्य संबंधित कार्य हेतु ₹1066.56 लाख का प्राक्कलन समर्पित किया जायेगा, जिसे नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

2. उक्त निर्णय के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से विषयांकित योजना की स्वीकृति हेतु प्राक्कलन प्राप्त हुआ है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि राजगीर शहर में हर घर नल का जल निश्चय योजना का कार्यान्वयन भी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किया जायेगा, जिसका प्राक्कलन अलग से भेजा जायेगा।

3. राजगीर शहर में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत विभागीय राज्यादेश सं०– 133, दिनांक– 25.09.2016 द्वारा कुल ₹677.47263 लाख की योजना स्वीकृत करते हुए आवंटनादेश सं०– 134, दिनांक– 25.09.2016 द्वारा ₹134.14105 लाख राज्य योजना मद से आवंटित की गयी है। नगर निकाय के पास 14वें वित्त आयोग तथा पंचम् राज्य वित्त आयोग मद में ₹177.37537 लाख उपलब्ध है। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उपस्थित थे। उनके द्वारा बताया गया

कि उक्त स्वीकृत योजना के लिए अभी तक निविदा नहीं की गयी है। इसलिए यह भी निर्णय लिया गया कि विभागीय राज्यादेश सं०– 133, दिनांक– 25.09.2016 द्वारा स्वीकृत राजगीर शहर में हर घर नल का जल निश्चय योजना को रद्द किया जाय तथा नगर पंचायत, राजगीर द्वारा इस मद में उपलब्ध सम्पूर्ण राशि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को उपलब्ध कराया जाय। इसके लिए अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा।

4. उक्त निर्णय के आलोक में प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख (दस करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार रु०) मात्र का प्राक्कलन उपलब्ध कराते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्राक्कलन पर अधीक्षण अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदन प्राप्त है।

5. उक्त अनुरोध के आलोक में नगर पंचायत, राजगीर क्षेत्रान्तर्गत राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य हेतु ₹1066.56 लाख (दस करोड़ छियासठ लाख छप्पन हजार रु०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए तत्काल ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

क्र० सं०	**नगर निकाय का नाम**	**योजना का नाम**	**तकनीकी अनुमोदन की राशि**	**प्रशासनिक स्वीकृति की राशि**	**वर्तमान में स्वीकृत राशि**	**अवशेष राशि**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	**नगर पंचायत, राजगीर**	राजगीर शहरी पेय जलापूर्ति योजना के उन्नयन हेतु राजगीर से करीब 13 किलोमीटर दूर नवादा जिला के फलदू ग्राम के निकट पंचाने नदी से पाण्डू पोखर, राजगीर तक नया राइजिंग मेंस, नया जल स्त्रोत एवं पम्प गृह का निर्माण तथा भी०टी० पम्प/मोटर का अधिष्ठापन आदि कार्य।	1066.56	1066.56	573.00	493.56

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र ।

इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर होंगे**, जिनके द्वारा वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 2561, दिनांक– 17.04.1998, पत्रांक– 423, दिनांक– 31.03.2016 एवं पत्रांक– 811, दिनांक– 12.08.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016–17 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से

की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत नगर निकाय के पी०एल० खाता में संधारित की जायेगी। **तदुपरांत चेक/बैंक ड्राफ्ट/RTGS के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल को राशि उपलब्ध करायी जायेगी।** राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

7. (क) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र में से ₹307.00 लाख (तीन करोड़ सात लाख रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उप शीर्ष–0101–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215011930101** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष– 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

(ख) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹573.00 लाख (पाँच करोड़ तिहत्तर लाख रु०) मात्र में से ₹266.00 लाख (दो करोड़ छियासठ लाख रु०) मात्र की निकासी माँग सं०– 48 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–2215–जलापूर्ति तथा सफाई, उप मुख्य शीर्ष–01–जल पूर्ति, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष–0103–पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– **P 2215017890103** राज्य योजना स्कीम कोड URB 50 67, विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों का निर्माण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय व्ययक में आवश्यक राशि उपलब्ध है।

8. राशि की निकासी के बाद टी० भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जायेगा। वित्त विभाग के परिपत्र सं०–1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

9. योजना लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार की गई है जो योजना के कार्यकारी एजेंसी भी होंगे। इसके रख–रखाव की जिम्मेवारी लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा तैयार किये गये प्राक्कलन के शर्तों के अनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की होगी। नगर पंचायत, राजगीर द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

10. **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

11. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

12. उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

13. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

14. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

15. जिला पदाधिकारी, नालंदा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय–समय पर किया जाएगा।

16. योजना का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि आवंटित की गई है।

17. उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

18. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या– 2ब०/जला०–01–117/2016 के पृष्ठ सं०–...32.../टि० पर दिनांक–30.03.2017 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–...32.../टि० पर दिनांक–30.03.2017 को प्राप्त है।

19. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–117/2016 359 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 30/3/17

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, नालंदा/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, राजगीर/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी– 02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाह सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

आनन्द